परियोजना का द्वितीय चरण (2014-2017)

परियोजना के प्रथम चरण को विद्यालयों से व सम्बन्धित संस्थाओं से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ऐसा महसूस किया गया कि गंगा बेसिन में सोंस संरक्षण–शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण शिक्षण केन्द्र ने विश्व बैंक के आर्थिक सहायता से राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) की पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) के साथ द्वितीय चरण की शुरूआत की है।

स्कूल स्तरीय गतिविधियाँ

- स्थानीय एन.जी.ओ. के सहयोग से 20 परियोजना क्षेत्रों में क्लस्टर का गठन होगा जिनमें से प्रत्येक क्लस्टर में 30–35 स्कूल होंगे। इस प्रकार 700 से भी ज्यादा स्कूल इस दिशा में कार्य करेंगे।
- परियोजना क्षेत्र में गतिविधियों के संचालन के लिए सहयोगी संस्थाओं का प्रशिक्षण।
- स्कूल के शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक का आयोजन।
- विद्यालय स्तर पर छात्रों की गतिविधियाँ जैसे कि डॉल्फिन क्लब या सोंस समूह का गठन।
- क्लस्टर स्तर पर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर समुदाय तक सोंस संरक्षण के संदेश को पहुँचाना।
- प्रत्येक क्लस्टर पर एक विद्यालय में गंगा डॉल्फिन संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- स्कूल एवं समुदाय को जोड़ने के लिए डाल्फिन मेला का आयोजन कर अनुभवों का आदान–प्रदान करना।
- ऐसे स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करना, जहाँ डॉल्फिन नहीं पायी जाती है ।

समुदाय स्तरीय गतिविधियाँ

- उत्तर प्रदेश व बिहार में दो परियोजना क्षेत्रों की पहचान कर, समुदाय के साथ सोंस संरक्षण के लिए कार्य करना।
- गाँवों का चयन तथा संरक्षण के मुद्दों और समुदाय के सामाजिक–आर्थिक स्तर का आंकलन करना।
- किसानों और मछुआरों को डॉल्फिन संरक्षण और उनकी आजीविका तथा जीवन के लिए नदी के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना।
- कौशल आधारित प्रशिक्षण और भ्रमण द्वारा समुदाय की क्षमता का विकास करना।
- समुदाय को टिकाऊ आजीविका के विकल्पों के प्रदर्शन द्वारा नदी के संसाधनों पर से दबाव कम करना।
- युवा स्वयंसेवकों की सहायता से नदी के घाटों की निगरानी करना तथा उन्हें इको पर्यटन को बढ़ावा देने में शामिल करना।

सहयोगी संस्थाएँ

परियोजना का द्वितीय चरण शिक्षा एवं वन विभाग के सक्रिय सहयोग से क्रियान्वित किया जायेगा। प्रजाति को बचाने के लिए शोध कर रही विशेषज्ञ संस्थाओं की भी सलाह व सुझाव लिये जायेगें। गंगा डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम की सफलता सरकारी विभागों के सक्रिय सहयोग, शोध और प्रशिक्षण संस्थानों, पर्यावरण और विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम की नोडल एजेन्सी (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण निदेशालय, सांइस कांउसिल इत्यादि) के समर्थन पर निर्भर करती है।

भारत सरकार ने गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया है तथा **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)** की स्थापना 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अनुभाग 3(3) के अर्न्तगत हुई। प्राधिकरण केन्द्र व राज्य की नियोजन, वित्तीय, अनुश्रवण तथा समन्वयन का निकाय है। एन.जी.आर.बी.ए. का उद्देश्य प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम को सुनिश्चित करना तथा गंगा नदी के संरक्षण के लिए नदी बेसिन पर आधारित विस्तृत नियोजन व प्रबंधन करना है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण की प्रथम बैठक 5 अक्टूबर 2009 को जैव–संकेतकों की निगरानी के द्वारा नदी स्वच्छता के प्रयासों के सफलतापूर्ण क्रियान्वयन पर चर्चा के साथ हुई। इसके अन्तर्गत एक कार्य समूह का गठन किया गया जिसमें गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण की कार्य योजना तैयार की गयी। समूह ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गांगेय डॉल्फिन को 10 मई 2010 के दिन 'राष्ट्रीय जलीय जीव' घोषित किया गया।

राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन (एन.एम.सी.जी.) एक पंजीकृत संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर एन.जी. आर.बी.ए. के कार्यक्रमों की विभिन्न गतिविधियों के साथ–साथ विश्व बैंक की सहायता प्राप्त गंगा बेसिन परियोजना का समन्वयन और क्रियान्वयन करती है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है। अधिक जानकारी के लिए देखें:
www.moef.nic.in/sites/default/files/ngrba/index.html

पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (सी.ई.ई.), पर्यावरण एवं टिकाऊ विकास से संबंधित कार्यक्रमों के विकास एवं संरक्षण के प्रति जागरुक करने हेतु संसाधन सामग्रियों के विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक राष्ट्रीय संस्था है। सी.ई.ई., वर्ष 1984 में स्थापित, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्था है, जो नेहरु विकास प्रतिष्ठान से संबद्ध है।

सी.ई.ई. के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना अक्टूबर 1995 में लखनऊ में की गयी। इस कार्यालय का प्रमुख कार्य, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन एवं संसाधन सामग्रियों का विकास करना है। सी.ई.ई. उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, नदियों एवं गंगा डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन इसकी स्थापना के समय से ही करता आ रहा है।

अधिक जानकारी के लिए देखें: www.ceeindia.org/cee/project_pages/ganga_dolphin.html

फोटो आभार: राजीव चौहान, भोजराज श्रेष्ठ, सी.ई.ई. फोटो बैंक

परियोजना कार्यालय
पर्यावरण शिक्षण केन्द्र
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (सी.ई.ई. उत्तर)
19/323, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016, उत्तर प्रदेश
दूरभाष- 0522 2716628, फैक्स- 0522 2716570
ई-मेल-ceenorth@ceeindia.org वेबसाइट-www.ceeindia.org

भारत सरकार
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

गांगेय डॉल्फिन
संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम

गंगा बेसिन में बसने वाले समुदाय व स्कूलों में गांगेय डॉल्फिन व उसके पर्यावास के संरक्षण हेतु सकारात्मक कदम उठाने के लिए शिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

CEE
Centre for Environment Education

गंगा बेसिन

गंगा व उसकी सहायक नदियों का तंत्र गंगा बेसिन बनाता है जिसमें यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन व अन्य नदियाँ शामिल हैं। बेसिन के मुख्य भाग के रूप में गंगा का मैदानी भाग शामिल है जहाँ पर विश्व की आबादी का लगभग दसवाँ हिस्सा बसता है। गंगा नदी द्वारा बहाकर लायी गयी जलोढ़ मिट्टी बहुत–सी कृषीय फसलों व फलों की पैदावार के लिए बेहद अनुकूल है। बेसिन क्षेत्र प्राकृतिक हरियाली से भी समृद्ध है जहाँ बहुत से देशज पेड़–पौधे व बड़ी संख्या में वन्य–जीव फलते–फूलते हैं।

गंगा बेसिन भूगर्भ जल का एक बड़ा स्रोत है जो प्रतिवर्ष तेजी से पुनः भरता है। लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आजीविका और अन्य बहुत से गतिविधियों जैसे धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बेसिन पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में गंगा बेसिन प्रदूषण और विकास की गतिविधियों के बोझ के कारण अत्यधिक मानवजनित दबाव झेल रही है।

गंगा विश्व की प्रमुख सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है तथा भारत के लोग बहुत आस्था से इसकी पूजा करते हैं तथा धार्मिक कर्म–काण्डों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार ने गंगा के संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए, इसे राष्ट्र की धरोहर के रूप में पहचानते हुए गंगा को 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया है।

जहाँ है ओजस्वी गंगा बहती,
ओंस व घड़ियाल को अपने में भंजोती।
जहाँ गर्व से बाघ विचरते, वहीं विभिन्न कुलाँचे भरते।
ऊपजाऊ क्षेत्र में दूर-दूर तक विस्तृत समतल मैदान,
जो है वनों, खेतों व घास के बड़े मैदानों की शान।
भोजन एवं स्वास्थ्य के लिए है पौधों की प्रचुरता,
और लाखों की संख्या में लोगों से है
यहाँ की संपन्नता।

गांगेय डॉल्फिन

गांगेय डॉल्फिन *(Platanista gangetica)* को सोंस या सुसु के नाम से जाना जाता है। सोंस पल भर में ही पानी में ओझल हो जाने वाला जलीय स्तनधारी जीव है। सोंस की उपस्थिति नदी के अच्छे स्वास्थ्य की सूचक है। कुछ वर्षों पहले तक, गंगा नदी में इनकी संख्या काफी अधिक थी, परन्तु अब इनकी संख्या मे भारी गिरावट आयी है। भारत में वर्तमान में इनकी अनुमानित संख्या लगभग 1200 से 2000 है।

यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, कर्णफूली–सांगु एवं मेघना नदी तंत्र तथा इसकी सहायक नदियों में पायी जाती है। सोंस की वर्तमान आबादी छोटे–छोटे समूहों के रूप में भारत, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान में हिमालय की घाटियों से ज्वारीय क्षेत्रों तक में वितरित है।

इस स्तनधारी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण इसके नदी सम्बन्धी पर्यावास का क्षरण एवं मानवों द्वारा इनका शिकार करना हैं। गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर मंडराने वाला प्रमुख खतरा सिंचाई एवं बिजली उत्पादन हेतु नदियों पर बाँध का निर्माण, तेल का अन्वेषण, नदियों के भीतर का ध्वनि प्रदूषण है, जिसके कारण सोंस की आबादी अलग–अलग हो जाती है और इससे इनके मौसमीय प्रवासन में बाधा आती है। नदी में सोंस को अन्य खतरे रासायनिक प्रदूषण, नौका यातायात, शिकार एवं मानवीय हस्तक्षेप के साथ–साथ, इनका मछली पकड़ने वाले प्लास्टिक एवं नायलॉन के जालों में आकस्मिक उलझ जाना आदि शामिल है। सोंस का शिकार तेल, मछलियों का चारा तथा स्थानीय समुदाय के भोजन के लिए होता है।

गांगेय डॉल्फिन विश्व में स्वच्छ जल में पायी जानी वाली डॉल्फिन की चार प्रजातियों में से एक है, यह आज विलुप्त होने की कगार पर है तथा इसे वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 की अनुसूची–1 की श्रेणी में रखा गया है। इसे आई. यू. सी. एन. की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में गम्भीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसे CITES के परिशिष्ट–1 में भी सूचीबद्ध किया गया है।

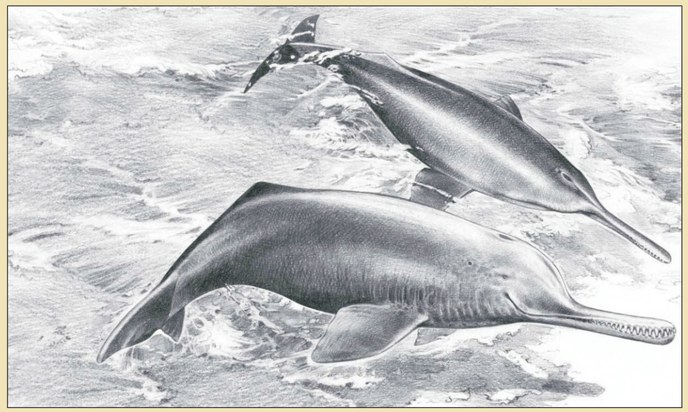

'जो महत्व बाघ का जंगल में है, वही डॉल्फिन का नदी में है'

गंगा डाल्फिन नदी की खाद्य शृंखला में सर्वोच्च स्थान रखती है और नदी के परितंत्र के आवश्यक सन्तुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ दशकों में इनकी घटती हुई संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। नदी के पारितंत्र की इस प्रमुख प्रजाति को बचाने का अर्थ इस प्रजाति और इसी प्रकार की अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण के साथ–साथ हमारे जीवन का आधार नदियों को संरक्षित करना भी है। अब यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम इसके नदी पर्यावास की स्थिति को बेहतर बनाये ताकि इस संकटग्रस्त प्रजाति को बचाया जा सके। इस प्रजाति के संरक्षण पर जोर देने के लिए, गांगेय डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर के दिन को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा।

संरक्षण के प्रयास

देश भर में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा शोध अध्ययनों, क्षमता विकास, क्षेत्र स्तर पर की जा रही परियोजनाओं आदि पर आधारित कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हांलाकि हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि सरकारी निकायों/एजेंसियों द्वारा लागू किये जा रहे नियमों एवं प्रयासों द्वारा संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन प्रयासों को स्थानीय स्तर पर जनमानस का समर्थन प्राप्त न हो। इस अनूठी प्रजाति के संरक्षण के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम सभी को सोंस के बारे में अच्छी समझ हो। जब तक लोग यह नहीं जानेंगे कि गांगेय डॉल्फिन का संरक्षण क्यों आवश्यक है तब तक इसके संरक्षण के सभी प्रयास सफल नहीं हो पायेंगे। शैक्षणिक एवं जागरुकता कार्यक्रम की सहायता से जनमानस को सम्बन्धित विषय पर पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें संवेदनशील बनाने में मदद मिलती है। गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए विद्यालय शिक्षा एवं सम्बन्धित हितधारकों को शामिल करना, जन–जागरुकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख घटक है।

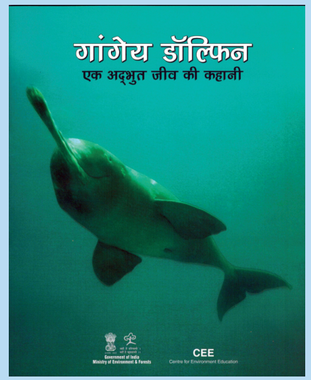

परियोजना का प्रथम चरण

वर्ष 2010 में पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (सी.ई.ई.) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से गांगेय डॉल्फिन व उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक नदी पारितंत्र के संरक्षण के लिए द्विवर्षीय जागरुकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की। परियोजना के अन्तर्गत विद्यालयों में वर्ष पर्यन्त संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया जिसमें मुख्यतः विद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थी शामिल हुए व उनकी सहायता से समुदायों व मछुआरों को जागरूक किया गया।

इस प्रजाति के बारे में जानकारी देने के लिए, सी.ई.ई. ने सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण सामग्री को तैयार करके स्कूलों और आम लोगों तक पहुँचाया।

स्थानीय सहयोगी संस्थाओं के साथ सी.ई.ई. ने 20 विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जहाँ गांगेय डॉल्फिन पायी जाती हैं जिनमें प्रमुख नदियां– गंगा, घाघरा, कोसी, चम्बल, गंडक, हुगली, ब्रह्मपुत्र, कुलसी आदि शामिल थी। यह कार्यक्रम चार राज्यों– उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में लागू किया गया। प्रत्येक स्थान पर 25 विद्यालयों का एक समूह या क्लस्टर बनाया गया जो कि नदी से पाँच किलोमीटर की दूरी में स्थित थे।

विद्यालय स्तर पर काम करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ सोंस के संरक्षण संदेश को स्कूल व समुदाय में पहुँचाया। विद्यार्थियों ने वर्ष के अन्त में डॉल्फिन मेला के आयोजन में अपने कार्यो का प्रदर्शन किया। ऐसा महसूस किया गया बच्चों की भागीदारी से जैवविविधता की उपयोगिता को समझने और गंगा डॉल्फिन को नदी के सम्पूर्ण पारितंत्र के साथ संरक्षित करने के लिए, यह पहल एक दीर्घकालिक निवेश है जिसमें संरक्षण कार्य में भाग लेने के लिए भविष्य के नागरिक तैयार होगें।